न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2023 G.C.M.S. No. 2023/110 दर्ज दिनांक : 12.04.2023

अपीलार्थी:

1. गोपाराम पुत्र केवलराम, जाति मेघवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत पेपी पुत्री भाकर पत्नि चेलाराम जाति सरगरा, निवासी धोलेरिया शासन हाल माण्डावास, तहसील रोहट जिला पाली के कायम मुकाम:–
   1/1 गणपतराम पुत्र चेलाराम, उम्र 32 वर्ष
   1/2 मनोहर पुत्र चेलाराम, उम्र 26 वर्ष, जातिगण सरगरा, निवासीगण माण्डावास, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/3 संतोष पुत्री चेलाराम पत्नि लक्ष्मण, उम्र 31 वर्ष, जाति सरगरा निवासी हर तहसील लूणी व जिला जोधपुर।
   1/4 रेखादेवी पुत्री चेलाराम पत्नि बगदाराम, उम्र 28 वर्ष, जाति सरगरा, निवासी डूंगरपुर, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/5 अन्जूदेवी पुत्री चेलाराम पत्नि विनोद, उम्र 29 वर्ष, जाति सरगरा, निवासी रोहीचाखुर्द मार्ग, लोलासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/6 अनीता पुत्री चेलाराम पत्नि जगदीश, उम्र 22 वर्ष, जाति सरगरा, निवासी डूंगरपुर, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. चंदाराम पुत्र सोनाराम, उम्र बालिग, जाति सरगरा, निवासी धोलेरिया शासन, तहसील रोहट व जिला पाली
3. भीमाराम पुत्र मिश्रीलाल, उम्र बालिग, जाति मेघवाल, निवासी जेतपुर, तहसील रोहट व जिला पाली।
4. जालाराम पुत्र जेठाराम, उम्र बालिग, जाति मेघवाल, निवासी अरावा, तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2015 बअनवान पेपी के का.मु. गणपतराम वगैरह बनाम चंदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भेराराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या 31/2015 बअनवान पेपी के का.मु. गणपतराम वगैरह बनाम चंदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/1 से 1/6 की माता पेपी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि तहसील रोहट के पटवार मण्डल धोलेरिया शासन सरहद धोलेरिया शासन के खसरा नम्बर 117/12 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगान रूपये 2.85 की कृषि भूमि वादीनी के पिता भाकरिया पुत्र केसा कौम सरगरा के नाम की रही है, जिनके फौत होने पर वादीनी उनकी एकमात्र पुत्री होने से वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन भाकरिया के फौत होने पर ग्राम धोलेरिया शासन के म्यूटेशन संख्या 198 के जरिये मृतक भाकरिया की माता अणसी बेवा केसा का नाम दर्ज किया। जबकि मृतक भाकरिया की एकमात्र पुत्री पेपी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत् वारिस थी, जिसके जीवित रहते भाकरिया की माता को कोई हक अधिकार नहीं था इसी प्रकार सरहद धोलेरिया शासन के खसरा नम्बर 21 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि लगान रूपये 2.81 भूमि सोना, भाकर पिसरान केसा सरगरा के नाम दर्ज थी, जिसमें वादीनी के पिता का नाम दर्ज था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन संख्या 198 भरते वक्त भाकरिया के कोई पुत्र नहीं होना अंकित कर भाकरिया की माता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कराया गया, जो गलत होने से निरस्त योग्य है। वादीनी मृतक भाकरिया की पुत्री होने से 1/2 हिस्सा की वैधानिक उत्तराधिकारी थी, जिसे खातेदारी घोषित करना उचित है। वादीया का आगे अभिवचन रहा कि इसी प्रकार सरहद धोलेरिया शासन के खसरा नम्बर 104/24 मृतका अणसी बेवा केसा कौम सरगरा के पक्ष में 11 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.04. 1976 को किया गया। अणसी बेवा केसा फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 536 के जरिये उसके पुत्र सोनाराम पुत्र केसा के नाम दर्ज किया गया, जबकि सोनाराम के अलावा केसा का पुत्र वादीनी का पिता होने से 1/2 हिस्सा भूमि का हकदार है। वादीनी के पिता का देहांत होने से वादीनी इस खसरे में 1/2 हिस्सा की खातेदारी उद्घोषणा की हकदार है। इस प्रकार खसरा नम्बर 117/12, खसरा नम्बर 104/24 व खसरा नम्बर 21 की संपूर्ण खातेदारी सोनाराम पुत्र केसा के नाम गलत दर्ज की गई है। सोनाराम पुत्र केसा का देहांत होने पर म्यूटेशन संख्या 806 के जरिये चंदाराम पुत्र सोनाराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई। चंदाराम ने

राजस्व अपील प्राधिकारी

इस भूमि को प्रतिवादी भीमाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति मेघवाल निवासी जेतपुर को खसरा नम्बर 104/24 विक्रय कर प्रतिवादी भीमाराम के नाम म्यूटेशन संख्या 889 दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी चंदाराम ने खसरा नम्बर 117/12 रकबा 15 बीघा भूमि प्रतिवादी गोपाराम पुत्र केवलराम कौम मेघवाल निवासी निम्बली ब्राहम्णान के नाम बेचाण कर म्यूटेशन संख्या 965 दर्ज किया गया। प्रतिवादी चंदाराम ने प्रतिवादी जालाराम पुत्र जेठाराम कौम मेघवाल के पक्ष में खसरा नम्बर 21 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि विकय की व म्यूटेशन संख्या 782 के जरिये प्रतिवादी जालाराम के नाम खातेदारी दर्ज की। इस प्रकार वादीनी का संपूर्ण आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम हक अधिकार है। लेकिन अवैध व अनाधिकारपूर्ण तरीके से पटवारी हल्का द्वारा गलत म्यूटेशन दर्ज किये गये। गलत इन्द्राज की ओट में प्रतिवादी चंदाराम का नाम गलत व अवैधानिक है तथा अपनी खातेदारी की ओट में किया गया बेचाण गलत है। सोनाराम की खातेदारी व हक हिस्सा तक चंदाराम हकदार है, लेकिन खसरा नम्बर 117/12 जो एक मात्र वादीनी के पिता की थीं, खसरा नम्बर 21 जिसमें वादीनी के पिता का 1/2 हिस्सा होने से वैधानिक हक अधिकार है व खसरा नम्बर 104/24 में 1/2 हिस्सा की वादीनी हकदार है। जिसकी उद्घोषणा वादीनी के हक में की जाना विधिसंगत होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध व बहक वादीनी में जारी की जावे। दिनांक 30.08.2015 को प्रतिवादी चंदाराम ने वादीनी को पुश्तैनी जमीन बेचने की जानकारी दी व वादीनी को 10–15 लाख रूपये राजी रखने को देने हेतु तैयार होना बताया, लेकिन वादीनी ने असहमति जाहिर की। प्रतिवादी चंदाराम ने खसरा नम्बर 117/12 रकबा 15 बीघा वादीनी के पिता के नाम का था व खसरा नम्बर 21 में उसके पिता का 1/2 हिस्सा की जमीन बेच कर रजिस्ट्री कराना बताया। जिसके बारे में जानकारी करने पर वादीनी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी चंदाराम के जगह प्रतिवादी जालाराम पुत्र जेठाराम व भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल व गोपाराम पुत्र केवलराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। वादीनी ने दिनांक 31.08.2015 को रेकर्ड की नकले पटवारी से ली व वादीनी की दादी अणची के खाते की नकल दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण से संपर्क करने पर उन्होंने यह जमीन सरकार के हक में सरेण्डर करना बताया। तत्पश्चात् वादीनी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रतिवादीगण की धमकी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा व खातेदारी उद्घोषणा का दावा पेश करने की नौबत आई।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2022 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.04.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जिसकी अपीलांट को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.04.2023 को प्राप्त होने से जानकारी हुई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर कारित नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया पेपी द्वारा वादग्रस्त आराजी अपने पिता की खातेदारी आराजी होने तथा वादिया एकमात्र संतान होने के बावजूद पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामांतरण संख्या 198 पिता की माता अणसी बेवा केसा के नाम स्वीकृत किया, जबकि मृतक खातेदार की जायंदा पुत्री एकमात्र पेपी थीं। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस थीं। अतः वादग्रस्त आराजीयात में वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है। जिसकी घोषणा करवाने की वादिया अधिकारी है।
5. प्रकरण में प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वादी साक्ष्य व बहस उपरांत अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध दिनांक 06.11.2020 को असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु नियत की गई। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अवधि कोविड–19 महामारी जनित लॉकडाउन की अवधि रही हैं तथा उक्त अवधि में केवल अत्यावश्यक प्रकरण की सुनवाई एवं एकपक्षीय कार्यवाही नहीं किए जाने के निर्देश रहे हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट पिटीशन संख्या 03/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 के अनुसार दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 28.02.2022 तक की अवधि कोविड महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित होने से समस्त प्रकरणों के लिए म्याद अवधि की गणना के लिए माफी योग्य माना है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो दोषपूर्ण है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख से वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 117/12 क्रय की गई तथा अपीलांट अभिलिखित खातेदार था। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में वादिया द्वारा निष्पादित शपथ–पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की हैं। जिसमें वादिया द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा संख्या 117/12 मौजा धोलेरिया शासन की आराजी मेरा भाई चंदाराम गोदपुत्र सोनाराम आगे किसी शख्स को बेचान करता है। तो उसमें मेरी पूर्ण सहमति है तथा मैं कोई उजर एतराज नहीं करूंगी। वादिया द्वारा उक्त कथन व तथ्य को छुपाते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। उक्त शपथ पत्र से वादिया व उसके वारिसान किस रूप में आबद्ध है या नहीं, के संबंध में प्रतिवादीगण की साक्ष्य उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णयन किया जा सकता है।

8. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 21 आवासीय ईकाई में संपरितवर्तित हो चुका है। अतः इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को नहीं होने से अपील काबिल खारिज है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत कर दी गई थीं। जो दिनांक 12.04.2023 से जैरकार रही तथा दिनांक 13.04.2023 से स्थगन प्रभावी है। रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि दिनांक 09.10.2024 को तहसीलदार रोहट द्वारा संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है। जोकि न केवल दौराने अपील विचारण बल्कि दौराने स्थगन पारित किया गया है। जोकि अपील के निर्णय के अध्यधीन होता है तथा पश्चातवर्ती कार्यवाही से अपील के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दोषपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2015 बअनवान पेपी के का.मु. गणपतराम वगैरह बनाम चंदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल 1956 के आज्ञापक, प्रक्रियागत विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner